न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 191/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. चैनाराम पुत्र पदमाराम 2. उम्मेदाराम पुत्र जेताराम 3. राउराम पुत्र तुलछाराम 4. भानाराम पुत्र पदमाराम 5. भीखाराम पुत्र सोनाराम 6. मूलाराम पुत्र गोमाराम 7. मगाराम पुत्र तोगाराम 8. खेमाराम पुत्र तोगाराम 9. सुखाराम पुत्र मिठूराम 10. हेमाराम पुत्र मिठूराम 11. डालूराम पुत्र मिठूराम जातियान–मेघवाल,निवासी–चाडार, बांकलसर, तहसील रामसर बाडमेर 12. बगताराम पुत्र कुम्भाराम जाति–मेघवाल, निवासी–मेहरानगढ (कोनरा), तहसील चौहटन, बाडमेर 13. कुचटीदेवी पुत्री तेजाराम 14. हरजीराम पुत्र जेताराम 15. जीयाराम पुत्र जेताराम 16. चैनाराम पुत्र जेताराम 17. श्रीमती पारू देवी पत्नि जेताराम जातियान–जाट, निवासी– रामदेवमंदिर, चाडार, बांकलसर, तहसील रामसर बाडमेर। 18. बांकाराम पुत्र सोनाराम 19. नखताराम पुत्र सोनाराम 20. चुनी पत्नि सोनाराम जातियान–मेघवाल,निवासी–चाडार बांकलसर, तहसील रामसर,बाडमेर 21. लिच्छूराम पुत्र सोनाराम 22. मेघाराम पुत्र तुलछाराम जातियान–मेघवाल,निवासी–चाडार, बांकलसर, तहसील रामसर,बाडमेर		1. लिखमाराम पुत्र पदमाराम 2. रूपाराम पुत्र मानाराम 3. धनाराम पुत्र मानाराम 4. उम्मेदाराम पुत्र पदमाराम 5. खीयाराम पुत्र पदमाराम जातियान–मेघवाल, निवासी– चाडार, बांकलसर, तहसील रामसर बाडमेर। 6. तहसीलदार रामसर, बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी रामसर के आदेश दिनांक 21.10.2021 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 169/2021 अनवान लिखमाराम बनाम रूपाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थिति–

1– श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लादूराम पूनिया अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 30 सितम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक ने अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत

किया गया। जिसमें मौजा चाडार बांकलसर के खेत खसरा संख्या 10/94 रकबा 12.5048 हैक्टर यानि 77.05 बीघा भूमि के अपने को खातेदार दर्शाते हुए उक्त भूमि के अन्य पडौसीगण के खसरान भूमि के मध्य सीमाचिन्ह नहीं होने से सीमा विवाद उत्पन्न होने के कारण भूमि की नेखमबन्दी कराने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.10.2021 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिया। जिसे व्यथित होकर अपीलार्थीगण के द्वारा यह अपील न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। और उन नोटिस की तामीली को पर्याप्त मानते हुए अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए रेस्पो0 संख्या के की बहस सुनने के उपरान्त रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नेखमबन्दी करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है क्योंकि धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो आदेश अपाप्त व निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांटस ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के पडौसी खातेदार, बगताराम, कुचटीदेवी, हरजीराम, जीयाराम व पारूदेवी, बाकाराम, नखताराम व चुनी देवी है। ये सभी पडौसी खातेदारान है लेकिन रेस्पो0 संख्या एक ने जानबूझ कर तथ्यों को छुपाकर इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जबकि न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी की खेत खसरान भूमि की नेखमबन्दी करवाने के लिये पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक प्रावधान है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया हैं।

वकील अपीलांटस ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन प्रकरण में सीमाज्ञान गलत रूप से बनाया गया है। इस सीमाज्ञान कार्यवाही में भी अपीलार्थीगण को न तो सुनवाई का कोई मौका दिया गया है औ न ही पडौसी खातेदारों को मौके पर बुलाया गया है, उक्त रिपोर्ट/फर्द मनमर्जी से तैयार कर पेश की गई है, नेखमबन्दी वाले खातेदारी खेत के पडौस में दूसरा राजस्व ग्राम चाडार मदरूप है, उसके पडौसी को भी खातेदार नहीं बनाया गया है। सीमाज्ञान वाली उक्त फर्द को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांटस ने यह भी कथन किया कि लिखमाराम पुत्र पदमाराम की ढाणी, रेस्पो0 संख्या एक के खेत में आती है जो ख0सं0 6 में रकबा 4 बीघा जमीन लिखमाराम के खेत में नेखम लगाने की कार्यवाही कर रहे है। उल्लेखित प्रकरण में भूमि की सीमाआओं के विवाद होने के कारण एवं मौके पर आवेदनकर्ता की भूमि कम होने के कारण उसकी पूर्ति करने के लिये अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में घुसकर नेखमबन्दी

की जा रही है जिससे हमारी भूमि कम हो रही है। इस प्रकार उक्त पडौस में विवाद होने के कारण नेखमबन्दी की कार्यवाही चलने योग्य नहीं थी। इस प्रकार के प्रकरणों में केवलमात्र सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर ही उनका निस्तारण किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उक्त तथ्यों को दरकिनार कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अतः समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2021 को निरस्त किया जावें।

रेस्पो0 सं0 एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दिनांक 15.9.22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान के कागजात पत्रावली पर लेने हेतु निवेदन करते हुए उल्लेख किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.21 के पारित होने के पश्चात अपीलार्थीगण ने तहसीलदार रामसर के समक्ष अपने ख0सं0 06, ख0सं0 175/2, ख0सं0 272/8, ख0सं0 273/8 के सीमाज्ञान के लिये दिनांक 21.12.21 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 12.2.22 को उक्त चारों खसरान भूमि का मौके पर जाकर पैमाइश कर सीमाज्ञान करवाया गया एवं उनके खसरो की सीमा निश्चित की गई है। जिसकी मौका फर्द अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त चारों खसरो की सीमाज्ञान की कार्यवावही करने एवं पडौसी खसरा नं0 10/94 की नेखमबन्दी की कार्यवाही रोककर सीमाज्ञान करने हेतु एक अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर पटवारी हल्का चाडार मदरूप व भू0अ0निरीक्षक रामसर को सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया था।

रेस्पो0 सं0 एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण की उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार रामसर ने अपीलाधीन आदेश की पालना के लिये पटवारी हल्का चाडार व भू0अ0निरीक्षक रामसर, भू0अ0निरीक्षक, गगरिया, व भू0अ0 निरीक्षक भिण्डे का पार को सर्वेदल में रखकर नेखमबन्दी करने के आदेश दिये गये जिस पर उक्त सर्वेदल द्वारा दिनांक 7.3.22 व 15.3.22 को पैमाइश कर मौके पर सीमाएं तय कर पक्के नेखम अपीलार्थी की हाजरी में कार्यवाही की जा चुकी है। अतः उक्त प्रार्थना एवं संलग्न दस्तावेज को पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपनी खेत खातेदारी के ख0सं0 10/94, 12.5048 हैक्टर यानि 77.05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में खेत के सेढे पर सीमाचिन्ह अंकित नहीं होने से पडौसी खातेदारान के द्वारा सेढे तोडकर उनकी भूमि में आ जाने तथा कब्जे व काश्त में हस्तक्षेप करने के कारण अपने खातेदारी वाली खसरा भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु पडोसी खातेदारान/अपीलान्टस को पक्षकार संस्थित करते हुए आवेदन किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सभी अप्रार्थीगण को नोटिस के जरिये तलब करते हुए सभी पक्षकारान के नोटिस तामील करवाये जाने के उपरान्त अपीलान्टस बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उनकी अनुपस्थिती मान रेस्पो0 संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ख0सं0 10/94 रकबा 12.5048 हैक्टर भूमि के चारों तरफ नेखम स्थापित करने हेतु आदेश पारित कर दिया जो पूर्ण रूप से उचित होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

त सम्भागीय आयुक्त
जोधा

इसके अलावा अपीलाधीन आदेश की पालना में दिनांक 15.3.2022 को तहसीलदार रामसर की ओर से टीम गठित की गई जिसके द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि 10/94 रकबा 12.5048 हैक्टर भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिती में सीमाज्ञान करवाते हुए नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में जो तथ्य दर्शाये गये वे सब आधारहीन है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सभी पडौसी खातेदारान/पक्षकारान को नोटिस जारी करते हुए तलब करने की कार्यवाही पूर्ण की गई परन्तु अप्रार्थीगण/अपीलान्टस उपस्थित नहीं हुए थे। रेस्पो0 संख्या एक की खसरा भूमि का सीमाकंन करने व नेखमबन्दी करने से किसी भी पडौसी खातेदारान की कोई भूमि कम नहीं हुई है और न ही रेसपो0 के द्वारा उनकी भूमि को अपने हिस्से में मिलाया गया है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत की गई अपील वर्तमान समय में सारहीन हो चुकी है जो अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 21.10.2021 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र दो पेशियों क्रमशः दिनांक 19.10.2021 व 21.10.2021(3 दिवस) में ही नेखमबंदी/पत्थरगढ़ी संबंधी प्रकरण को निर्णित कर दिया गया जबकि अपीलान्टस वादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदारान/पक्षकारान है। इसके अतिरिक्त मौके पर भूमि रकबा कम होना भी अपीलान्टस की ओर से इंगित किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि के अन्य पडौसी खातेदारान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त तथ्यों पर मनन करने एवं दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की पुनः सुनवाई करने के उपरान्त नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन/विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2021 को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण पुनः दर्ज करते हुए वादग्रस्त खसरान भूमि के सभी पडौसी खातेदारान (अपीलान्टगण) को नोटिस जारी कर पक्ष प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त